क्रम-संख्या–21

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 जनवरी, 2014

पौष 27, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 185/छः-पु-1–14-115-08
लखनऊ, 17 जनवरी, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि–2

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (षष्टम् संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (षष्टम् संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम–5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उप नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(2) मुख्य आरक्षी–मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती पात्र आरक्षियों के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा एवं 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी।	(2) मुख्य आरक्षी–मुख्य आरक्षी के शत-प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये पात्र अभ्यर्थियों में ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

नियम 17 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम 17 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति के लिये निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों। ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया परिशिष्ट–2 (2) में दी गयी है।	(ख) वे आरक्षी जो बिना पारी पदोन्नत किये गये हों और मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में कार्यरत हों, भी अपनी मौलिक श्रेणी में अपनी ज्येष्ठता के अनुसार मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

परिशिष्ट-2 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान परिशिष्ट**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**
सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण– 1–शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन एक दल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :– (एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर। (दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी। (तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक। (चार) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अनुसूचित जाति का एक अधिकारी। (पाँच) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी।	सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण– 1–शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन एक दल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :– (एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर। (दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी। (तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक। (चार) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अनुसूचित जाति का एक अधिकारी। (पाँच) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी।